भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

05.12.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 762 का उत्तर

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों हेतु निचली बर्थ

762. श्री नीरज डांगी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निचली बर्थ आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ऐसे मामलों की शिकायतें प्राप्त हुई है जहां कोच की प्रवेश/निकास व्यवस्था स्पष्ट न होने के कारण यात्री घायल हुए हों, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ट्रेनों के कोच में प्रवेश और निकास के लिए उचित दिशा-निर्देश या संकेतक नहीं होने के कारण यात्रियों को चढ़ने और उतरने में कठिनाई होती है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): भारतीय रेल द्वारा यात्रियों, जिनमें वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन यात्री भी शामिल हैं, की सुविधा के लिए विभिन्न सुविधाएँ मुहैया कराने का निरंतर प्रयास किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन यात्रियों को मुहैया कराई जाने वाली कुछ सुविधाएँ निम्नानुसार हैं:

i. वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को उपलब्धता के अध्यधीन निचली शायिका स्वतः आवंटन, चाहे कोई विकल्प न दिया गया हो।

ii. वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष और अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए शयनयान श्रेणी में छह से सात निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा, वातानुकूलित 3 टियर श्रेणी में चार से पांच निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा और वातानुकूलित 2 टियर श्रेणी में तीन से चार निचली शायिकाएं प्रति सवारी डिब्बा (रेलगाड़ी में उस श्रेणी के सवारी डिब्बों की संख्या के आधार पर) का एक संयुक्त आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है।

iii. सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में, जिनमें राजधानी/शताब्दी प्रकार की गाड़ियां शामिल हैं, दिव्यांगजन यात्रियों और उनके परिचरों के लिए आरक्षित कोटा का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है: -

- शयनयान श्रेणी में चार शायिकाएं (जिनमें दो निचली और दो मिडल शायिकाएं शामिल हैं)
- 3एसी/3ई में चार शायिकाएं (जिनमें दो निचली और दो मिडल शायिकाएं शामिल हैं)
- आरक्षित द्वितीय सिटिंग (2एस)/वातानुकूलित चेयर कार (सीसी) में चार सीटें

iv. रेलगाड़ी में रिक्त होने वाली निचली शायिकाओं को वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन यात्रियों अथवा गर्भवती महिला यात्रियों (जिन्हें मिडल/ऊपरी शायिका आवंटित की गई है) को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाता है।

इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के सवारी डिब्बे, जिन्हें संरक्षा और यात्रियों के अनुभव को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है, मुहैया कराए गए हैं। आरक्षित सवारी डिब्बों में, प्रवेश और निकास द्वारों को चिह्नित किया गया है। 'प्रवेश' और 'निकास' वाले संकेतकों को सवारी डिब्बों के साइड प्रवेश दरवाजों के पास लगाया गया है। सामान्य सवारी डिब्बों में, किसी भी दरवाजे से प्रवेश और निकास किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल द्वारा सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान सुगमता और सुविधा में बढ़ोतरी करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. लगभग सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में दिव्यांगजनों के लिए एक अलग कंपार्टमेंट चिह्नित किया गया है। इन सवारी डिब्बों में चौड़े प्रवेश द्वार, चौड़ी बर्थ, चौड़े कंपार्टमेंट, चौड़े दरवाजों वाले बड़े शौचालय, शौचालयों के भीतर व्हीलचेयर पार्किंग क्षेत्र आदि होते हैं, सहारे

के लिए साइड की दीवारों पर अतिरिक्त ग्रैब रेल और उपयुक्त ऊंचाई पर वॉश बेसिन और दर्पण भी उपलब्ध हैं।

ii. दृष्टिबाधित यात्रियों की सुविधा के लिए, सवारी डिब्बों में एकीकृत ब्रेल संकेतक अर्थात अंकित ब्रेल लिपि के साथ संकेतक भी लगाए गए हैं।

iii. आधुनिक वंदे भारत और अमृत भारत गाड़ियों को दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। वंदे भारत गाड़ियों के पहले और अंतिम सवारी डिब्बों में व्हील चेयर, चौड़े स्थान के साथ दिव्यांगजनों के अनुकूल शौचालय आदि हेतु विशेष प्रावधान हैं। इसके अलावा, वंदे भारत गाड़ियों के इन सवारी डिब्बों में और अमृत भारत के लगेज सह दिव्यांगजन सवारी डिब्बों में मॉड्यूलर रैंप का प्रावधान किया गया है ताकि इन सवारी डिब्बों के भीतर सीमित गतिशीलता वाले व्यक्ति आसानी से चढ़ और उतर सकें।

*****